निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 183/2012
दायरा दिनांकः—29.10.2012
निर्णय दिनांकः— 2-7-24

उनवान

1. गिरजा शर्मा आयु 45 वर्ष पत्नि प्रहलाद शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी आंचोली हाल छबडा तहसील छबडा जिला बारां

बनाम

1. धन्नालाल आयु 70 वर्ष आत्मज भैरूलाल
2. संतोश आयु 45 वर्ष आत्मज धन्नालाल
3. महेन्द्र आयु 40 वर्ष आत्मज धन्नालाल
4. हरिशंकर आयु 33 वर्ष आत्मज धन्नालाल
5. फूलचन्द आयु 35 वर्ष आत्मज धन्नालाल जातियान ब्राहम्ण निवासीगण आंचोली तहसील छबडा जिला बारां

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर0 टी0 एक्ट0
निर्णय दिनांकः— 2-7-24

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री अब्दुल हसीब आलम — वादी
2. श्री मोहित शर्मा — प्रतिवादी
एवं

प्रकरण संख्या 133/2012
दायरा दिनांकः—03.07.2012
निर्णय दिनांकः— 2-7-24

उनवान

1. धन्नालाल आयु 70 वर्ष आत्मज भैरूलाल जाति ब्राहम्ण निवासीगण आंचोली तहसील छबडा जिला बारां

बनाम

1. गिरजा शर्मा आयु 45 वर्ष पत्नि प्रहलाद शर्मा जाति ब्राहम्ण
2. बाबूलाल आयु 52 वर्ष आत्मज राधाकिशन जाति ब्राहम्ण
3. राजेन्द्र कुमार पुत्र राधाकिशन जाति ब्राहम्ण
4. सावित्री बसई पुत्री राधाकिशन जाति ब्राहम्ण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.08.08 17:26:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

5. शीला बाई पुत्री राधाकिशन जाति ब्राहम्ण
6. भूली बाई बेवा राधाकिशन जाति ब्राहम्ण
7. प्रहलाद पुत्र जानकीलाल जाति ब्राहम्ण
8. संजय कुमार पुत्र हंसराज जाति ब्राहम्ण
9. मुरली पुत्र हंसराज जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम आंचोली तहसील छबडा जिला बारां राज0।
10. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,91,188 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः– 2-7-24

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री मोहित शर्मा – वादी

2. श्री हेमन्त पारीक – प्रतिवादी

इसमें दो वादों का प्रकरण संख्या 133/2012 उनवान धन्नालाल बनाम गिराज बाई एवं प्रकरण संख्या 183/2012 उनवान गिरजा बाई बनाम धन्नालाल का एक साथ समायोजन कर निर्णित किया जा रहा है। यह निर्णय दोनो प्रकरणों पर लागु होगा।

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा,188 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया है कि वाके माल आंचोली तहसील छबडा में भूमि खसरा नम्बर 127 रकबा 21 बीघा 18 बिस्वा भूमि वादनी एवं अन्य खातेदारान के नाम राजस्व रिकार्ड एवं कब्जे काश्त में स्थित है। जिसमें वादनी का हिस्सा 1/2 है। वादनी द्वारा वाद पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि में से हिस्सा 1/2 भूमि को पूर्व खातेदार मंजु कुमारी पत्नि प्रकाशचन्द जैन छबडा से खरीदी गयी है वादनी द्वारा डक्त भूमि को खरीदतें समय मौके पर कब्जा प्राप्त करके सबरजिस्ट्रार महोदय छबडा के यह रजिस्ट्री तस्दीक करवाकर वादनी ने अपने नाम इन्तकाल खुलवाया था तथा उक्त भूमि वर्तमान में वादनी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादनी द्वारा वाद पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि के अपने हिस्से 1/2 भूमि में फसल सोयाबीन बो रखी है। जो पककर कटने को तैयार है। वाद पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि वादनी द्वारा खरीदने से पूर्व उक्त भूमि को पिछले वर्ष प्रतिवादीगण द्वारा पांती पर काश्त की गई थी तथा प्रतिवादीगण लडाकु– झगडालु किस्म के लोग है जो वादनी महिला होने से वादनी को डरा धमकाकर वादनी के हिस्से की भूमि पर पांती से काश्त करने हेतु जबरन कब्जा करना चाहते है जिसका प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार हासिल नही है। वाद कारण दिनांक 23.09.2012 को पैदा हुआ जब वादनी अपनी भूमि में खडी फसल सोयाबीन की कटाई के लिये ठेका देने ग्राम आंचोली में गई तो प्रतिवादी ने मजदुरों से ठेका लेने से मना कर दिया तथा कहां कि सोयाबीन तो हम ही काटेंगे तथा जमीन पर क[illegible] काश्त करेंगे इस पर वादनी ने विरोध किया तो प्रतिवादीगण ल[illegible] करने पर आमादा हो गए यही दिनांक बिनायादावा कायम [illegible] नम्बर 1 में वार्णित भूमि में से हिस्सा 1/2 भूमि [illegible] मंजुकुमारी से खरीदकर कब्जा प्राप्त किया है तथा [illegible] पर प्रतिवादीगण का कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.08.08 17:26:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

अधिकार हासिल नही है लेकिन प्रतिवादीगण वादनी के महिला एवं अकेली होने का नाजायज लाभ उठाकर शक्ति के बल पर अवैधानिक तरीके से वादनी की भूमि में खडी फसल सोयाबीन को काटकर ले जाना चाहते है तथा भूमि पर कब्जा करना चाहते है। जिसका प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार हासिल नही है अतः वादनी को प्रतिवादीगण से फसल काटकर ले जाने एवं भूमि से बेदखली का पूरा–पुरा भय हो गया है अतः प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक हो गया है प्रतिवादीगण वादी की भूमि में खडी फसल सोयाबीन को काटकर ले गए एवं कब्जा कर लिया तो वादनी को अपरिमित क्षति होगी। जिसकी पूर्ति धन से सम्भव नही हो सकेगी तथा अनैकानेक वाद–विवादों मं उलझकर जेरबार होना पडेगा।

वादीया का वाद दर्ज रजिस्टार कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश हुआ वादीया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम आंचोली सम्वत् 2068–71 खाता संख्या 125 पेश की साक्ष्य वादी में PW1 गिरजा शर्मा के बयान कराये गये प्रदीप शर्मा हजारीलाल का शपथ पत्र पेश हुआ। प्रतिवादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम आंचोली सम्वत् 2068–71 खाता संख्या 125 पेश की गई साक्ष्य प्रतिवादी PW1 धन्नालाल के बयान कराये गये।

वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादीगण के जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम के आधार पर निम्न तनकी कायम की गई। ::–

तनकी नम्बर 1 :– आया कि वाके ग्राम आंचोली तहसील छबडा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 127 रकबा 21.18 बीघा की 1/2 भाग पर वादनी खातेदार कृषक है

तनकी नम्बर 2 :– आया कि प्रतिवादी को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि भूमि खसरा नम्बर 127 रकबा 21.18 बीघा के 1/2 भाग वाके ग्राम आंचोली वादनी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नही करे।

तनकी नम्बर 3 :– आया कि वादनी के हिस्से की भूमि पर से प्रतिवादीगण को बेखल कर वादनी को कब्जा दिलाया जावे।

तनकी नम्बर 4 :– आया कि ग्राम आंचोली एवं गोरखपुरा की भूमियों का बटवारा भैरूलाल ने किया था एवं उसी के अनुसार पक्षकार काबिज है।

तनकी नम्बर 5 :– आया कि भूमि खसरा नम्बर 127 रकबा 21.17 बीघा में से 8.09 बीघा वाके ग्राम आंचोली पर प्रतिवादी धन्नालाल को खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

तनकी नम्बर 6 :– अनुतोष

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.08.08 17:26:45 IST
Reason: SelfAttested

बहस अभिभाषक [illegible] पक्षकारान सुनी गई बहस के दौरान अभिभाषक वादनी द्वारा वाद पत्र में [illegible] तथ्यों को दोहराया गया। वादी वकील का कथन है कि विवादित आराजी वाके [illegible] आंचोली तहसील छबडा में स्थित है जिसमें वादनी का 1/2 [illegible] विवादित आराजी पूर्व खातेदार मंजु कुमारी पत्नि प्रकाशचन्द जैन [illegible] से खरीदी गई वादनी द्वारा रजिस्ट्री करा कर कब्जा प्राप्त किया तथा वादनी द्वारा क्रय की गई भूमि का नामान्तरण खुलवाया वर्तमान में वादनी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादनी

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

द्वारा क्रय करने से पूर्व प्रतिवादीगण पांती पर काश्त करते थे। प्रतिवादीगण जबरन वादीया की भूमि पर कब्जा करना चाहते है खसरा नम्बर 127 की भूमि में से हिस्सा 1/2 को वादनी द्वारा खातेदार मंजु कुमारी से खरीदकर कब्जा प्राप्त किया है वादनी खातेदार है प्रतिवादीगण को वादनी की भूमि पर कब्जा करने को कोई अधिकार नही है प्रतिवादीगण वादिया महिला होने का नाजायज फायदा उठाना चाहतें है वादिया की भूमि पर जबरन कब्जा कर वादिया को बेदखल करना चाहतें है वादिया की स्वर्जित सम्पत्ति है पैत्रक सम्पत्ति नही है प्रतिवादी द्वारा पैत्रिक सम्पत्ति होने का कोई दस्तावेज पेश नही किया। वादिया द्वारा क्रय की गई भूमि पैत्रक नही हो सकती। भूमि खातेदार मंजु कुमारी जैन से क्रय की गई है रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण खुला है क्रय की गई भूमि पैत्रक कैसे हो सकती है वादिया का वाद स्वीकार फरमाया जावे।

बहस के दौरान वकील प्रतिवादी का कथन है कि ग्राम आंचोली की भूमि खसरा नम्बर 127 रकबा 21.18 बीघा में से प्रतिवादी धन्नालाल का 8.10 बीघा भूमि पर हिस्सा 50 वर्ष से कब्जा काश्त है भैरूलाल जो प्रतिवादी क्रम 1 पिता थे उनके पास ग्राम आंचोली में 44 बीघा व ग्राम गोरखपुरा में 20 बीघा भूमि थी जिसका बटवारा सभी पुत्रों की सहमति से 50 वर्ष पूर्व कर दिया था प्रत्येक पुत्र को 11–11 बीघा जमीन आंचोली की तथा 5–5 बीघा जमीन गोरखपुरा की दी गई बटवारा अनुसार अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त है भैरूलाल की मृत्यु के बाद ही वादिया के ससुर जानकीलाल की मृत्यु हो गई जानकीलाल की बेवा और नाबा0 पुत्र होने एवं दो गांवो में अलग–अलग भूमि होने गांव गोरखपुरा की 5 बीघा भूमि जानकीलाल की 1/2–1/2 बीघा धन्नालाल व हंसराज को दे दी तथा धन्नालाल व हंसराज ने अपने हिस्से में से ग्राम आंचोली की भूमि वादिया के पति प्रहलाद के नाम जमाबन्दी में दर्ज करा दी इस प्रकार वादिया के पति के पास कुल 16 बीघा भूमि हो गई ग्राम आंचोली की आराजी खसरा नम्बर 127 रकबा 21.17 बीघा क्रय करके रजिस्ट्री 60 वर्ष पूर्व राधाकिशन व जानकीलाल के नाम करवा ली थी बाद में भैरूलाल नें दोनो गांव की भूमि चारो भाईयों में बराबर–बराबर बटवारा कर दिया प्रतिवादी धन्नालाल ने वादिया के पति प्रहलाद से खातेदारी दर्ज करवाने की कहां परन्तु आश्वासन देता रहा बाद में चुपचाप अन्य को भूमि का बेचान कर दिया तथा पुनः अपनी पत्नि वादिया के नाम रजिस्ट्री करवा ली जबकि ग्राम आंचोली की 8.09 बीघा भूमि पर 50 वर्ष से प्रतिवादी धन्नलाल का कब्जा चला आ रहा है वादिया उक्त विवादित आराजी को जबरन कब्जा करने आमादा है वादिया का वाद खारिज किया जावे तथा प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.08.08 17:26:45 IST
Reason: SelfAttested

बहस अभिभाषक उभय प[illegible] सुनी गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। [illegible] निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है। :–

तनकी नम्बर 1 :– इस तन[illegible] का भार वादिया पर था प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम आंचोली तहसील छबडा सम्वत् 2068–71 खाता संख्या 125 में मंजु कुमारी पत्नि प्रकाशचन्द जैन हिस्सा 1/2 राधाकिशन पुत्र भैरूलाल हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

50/438 जाति ब्राहम्ण सा0देह संजय कुमार, मुरली मनोहर, पुत्र हंसराज हिस्सा 160/438 दर्ज है जमाबन्दी के कॉलम संख्या 11 से 17 में नामान्तरण संख्या 1091 दिनांक 20.05.2012 से विक्रेता मंजु कुमारी हिस्सा 1/2 क्रेता गिरजा शर्मा पत्नि प्रहलाद शर्मा जाति ब्राहम्ण सा0देह के नाम दर्ज करने का नोट अंकित है वादिया ने अपने बयान PW1 की जिरह में बताया कि मेरी जमीन गोरखपुरा में नही है मेन पैसे देकर मंजु जैन से खरीदी है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी वादिया के खातेदारी की है वादिया 1/2 भाग की खातेदार कृषक है अतः यह तनकी वादिया के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 2 :– इस तनकी को साबित करने का भार वादिया पर था नकल जमाबन्दी ग्राम आंचोली सम्वत् 2068–71 खाता संख्या 125 में वादिया 1/2 हिस्से की खातेदार कृषक है। वादीया खातेदार है एवं बिना विभाजन के सम्पूर्ण हिस्से में प्रत्येक सहखातेदार का अच्छी में से अच्छी एंव बुरी में बुरी भूमि का बराबर अधिकार है अर्थात् बिना विधिक विभाजन कराये वादीया अन्य सहखातेदारों को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही करा सकती है। अतः यह तनकी वादीया के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 3 :– इस तनकी को साबित करने का भार वादिया का है। शामलाती भूमि अर्थात् वादीया सहखातेदार होने तथा बिना विधिक बंटवारे के प्रतिवादीगण को पाबन्द नही किया जा सकता है। अतः यह तनकी वादीया के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 4 :– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण को है प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम आंचोली सम्वत् 2068–71 के अनुसार मंजु कुमारी पत्नि प्रकाशचन्द जैन हिस्स 1/2 राधाकिशन पुत्र भैरूलाल हिस्सा 50/438 जाति ब्राहम्ण सा0देह संजय कुमार, मुरली मनोहर पुत्र हंसराज हिस्सा 160/438 दर्ज है जमाबन्दी के कॉलम संख्या 11 से 17 में नामान्तरण संख्या 1091 दिनांक 20.05.2013 से विक्रेता मंजु कुमारी का हिस्सा 1/2 क्रेता गिरजा शर्मा पत्नि प्रहलाद शर्मा जाति ब्राहम्ण सा0देह के नाम दर्ज करने का नोट अंकित है। इससे यह साबित होता है कि विवादित भूमि में वादिया का 1/2 हिस्सा है प्रतिवादीगण द्वारा ग्राम गोरखपुरा की भूमि को कोई भी दस्तावेज पत्रावली में पेश नही किया धन्नालाल ने अपने बयानों की जिरह में बताया कि गिरजा शर्मा को जानता हूँ गिरजा बाई ने जमीन किससे खरीदी पता नही गिरजा बाई ने जो जमीन खरीदी वह पैत्रक है मुझे पता नही है। गिरजा बाई ने मंजु कुमारी से जमीन खरीदी है मुझे पता नही है हमारी पैत्रक जमीन आंचोली व गोरखपुरा में है गिरजा बाई लगभग 40 वर्ष से अपनी जमीन कर रही है गिरजा बाई की भूमि के खसरा नम्बर 127 है जिस पर वह काश्त कर रही [illegible] जमीन का हिस्सा बटवारा लेने के लिए मेने दावा किया था मेरे हिस्से [illegible] जमीन आई थी इससे यह साबित होता है कि प्रतिवादी द्वारा बटवारे [illegible] दावा भी पेश किया था परन्तु प्रतिवादी द्वारा उस दावे की प्रति व [illegible] जमाबन्दी की नकले पेश नही की प्रतिवादी द्वारा अपने बयानों में कहा कि [illegible] कुमारी से गिरजा शर्मा ने ग्राम आंचोली की भूमि खरीदी है प्रतिवादी यह साबित करने में विफल रहे है कि बटवारे

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.08.08 17:26:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

में कोन को कितनी भूमि मिली बटवारे से सम्बन्धित कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत पेश नही किया अतः यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 5 :– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया जिसमें विवादित आराजी पैत्रक साबित हो सके प्रतिवादीगण विवादित आराजी को पैत्रक साबित करने में विफल रहे है। प्रतिवादी द्वारा ग्राम गोरखपुरा की भूमि को कोई रिकार्ड व दस्तावेज पेश नही किया जिससे यह साबित हो सके कि गोरखपुरा की भूमि किस के खातेदारी में है प्रतिवादी द्वारा गिरजा शर्मा के पति प्रहलाद शर्मा को भूमि खाते बधाने की जिस प्रकार जवाब काउन्टर क्लेम व बहस में बताई गई थी परन्तु प्रहलाद के खातेदारी की कोई जमाबन्दी पत्रावली में पेश नही की। प्रतिवादी द्वारा ग्राम आंचोली की भूमि खसरा नम्बर 127 रकबा 21.17 बीघा में से 8.09 बीघा भूमि पर 50 साल से अपना कब्जा काउन्टर क्लेम में बताया है परन्तु कब्जा साबित करने में विफल रहे है प्रतिवादी धन्नालाल ने अपने बयान PW1 दिनांक 12.03.2024 में कहां है कि गिरजा बाई लगभग 40 वर्ष से अपनी जमीन कर रही है गिरजा बाई की भूमि के खसरा नम्बर 127 है जिस पर वह काश्त कर रही है 1/2 भाग पर वादिया काश्त कर रही है 50/438 भाग पर राधाकिशन एवं 160/438 भाग पर संजय कुमार मुरली मनोहर काश्त कर रहे है तो प्रतिवादी धन्नालाल 8.09 बीघा भूमि किस आधार पर खातेदार कृषक घोषित कराना चाहता है जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम में लिख देने एवं बहस के दौरान मौखिक दावों से खातेदारी नही दी जा सकती खातेदारी प्राप्त करने के लिये अपने अधिकारों को दस्तावेजो के आधार पर साबित करना पडता है प्रतिवादी यह साबित करने में विफल रहे है अतः यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

उपरोक्त तनकीयात के निर्णय के आधार पर उक्त दोनो वादो को निम्नानुसार निर्णित किया जाता है कि (1) वाद संख्या 133/12 में ग्राम आंचोली की भूमि खसरा नम्बर 127 रकबा 21.17 बीघा में 1/2 हिस्से की खातेदार कृषक है वादिया द्वारा यह भूमि मंजु कुमारी जैन से क्रय की गई थी। वादिया द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गई भूमि पर प्रतिवादीगण खातेदारी अधिकार प्राप्त नही कर सकतें। वाद संख्या 133/12 धन्नालाल बनाम गिरजा शर्मा जो वाद संख्या 183/12 के साथ सम्मेलित है उसमे बताया कि भूमि राधाकिशन व जानकीलाल द्वारा क्रय की गई जानकीलाल द्वारा मंजु जैन को व मंजु जैन द्वारा प्रहलाद की पत्नि गिरजा शर्मा को बेचान की जो विधिक रूप से सही है यानि वैध है इसी के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है धन्नलाल द्वारा साक्ष्य/साबूत एवं दस्तावेज पेश नही किये जिसमें उसका अधिकार साबित हो केवल कब्जे के कथन मात्र से एडवार्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नही किए जा सकतें अतः दावा खारिज किये जाने योग्य होने के कारण खारिज किया जाता है।

(2) वाद संख्या 183/12 अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.ए गिरजा शर्मा बनाम धन्नालाल वादनी खसरा नम्बर [illegible] है जिसमें वादनी का 1/2 हिस्सा दर्ज है खसरा नम्बर 127 में वादिनी [illegible] हिस्से का विभाजन नही होने तक सम्पूर्ण खसरे में सभी सहखातेदारों का अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी बराबर अधिकार है प्रस्तुत प्रकरण में [illegible] नही है वादिनी का स्वंय का हिस्सा बटवारा नही होने तक धारा 188 आर.टी.ए का वाद मेन्टेनेवल नही है

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.08.08 17:26:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

लिहाजा वादनी का वाद अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.ए स्वीकार किये जाने योग्य नही है इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27.06.2017 को वादिया का वाद एवं प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम आंशिक स्वीकार कर वादिया गिरजा शर्मा व धन्नालाल प्रतिवादी को ग्राम आंचाली की भूमि में 1/4, 1/4 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया गया था। उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 27.01.2021 से इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.06.2017 अपास्त किया गया। चुंकि पूर्व निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है वादिया सहखातेदार होने के कारण बिना बटवारा कराये धारा 188 आर.टी.ए स्वीकार किये जाने योग्य नही है प्रतिवादी धन्नालाल खातेदार नही है एडवर्स पजेशन व पैत्रक भूमि साबित करने में विफल रहे है प्रतिवादी को वादिया के खातेदारी की भूमि पर खातेदार कृषक घोषित नही किया जा सकता प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम एवं वादीया का वाद धारा 188 आर0टी0एक्ट खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीया का वाद 183/12 उनवान गिरजा शर्मा बनाम धन्नालाल एवं प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम तथा वाद पत्र 133/12 उनवान धन्नालाल बनाम गिरजा शर्मा चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.08.08 17:26:45 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 183/21 एवं 133/12	धारा 188 एवं 88,89,91,188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः– 02.07.2024
समक्ष : श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषकवादीः–श्री अब्दुल हसीब आलम–वादी	अभिभाषक प्रतिवादीः–श्री मोहित शर्मा	

वाद शीर्षक

1. गिरजा शर्मा आयु 45 वर्ष पत्नि प्रहलाद शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी आंचोली हाल छबडा तहसील छबडा जिला बारां

बनाम

1. धन्नालाल आयु 70 वर्ष आत्मज भैरूलाल
2. संतोश आयु 45 वर्ष आत्मज धन्नालाल
3. महेन्द्र आयु 40 वर्ष आत्मज धन्नालाल
4. हरिशंकर आयु 33 वर्ष आत्मज धन्नालाल
5. फूलचन्द आयु 35 वर्ष आत्मज धन्नालाल जातियान ब्राहम्ण निवासीगण आंचोली तहसील छबडा जिला बारां

एवं

धन्नालाल आयु 70 वर्ष आत्मज भैरूलाल जाति ब्राहम्ण निवासीगण आंचोली तहसील छबडा जिला बारां

बनाम

1. गिरजा शर्मा आयु 45 वर्ष पत्नि प्रहलाद शर्मा जाति ब्राहम्ण
2. बाबूलाल आयु 52 वर्ष आत्मज राधाकिशन जाति ब्राहम्ण
3. राजेन्द्र कुमार पुत्र राधाकिशन जाति ब्राहम्ण
4. सावित्री बसई पुत्री राधाकिशन जाति ब्राहम्ण
5. शीला बाई पुत्री राधाकिशन जाति ब्राहम्ण
6. भूली बाई बेवा राधाकिशन जाति ब्राहम्ण
7. प्रहलाद पुत्र जानकीलाल जाति ब्राहम्ण
8. संजय कुमार पुत्र हंसराज जाति ब्राहम्ण
9. मुरली पुत्र हंसराज जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम आंचोली तहसील छबडा जिला बारां राज0।
10. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा छबडा

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादीया का वाद 183/12 उनवान गिरजा शर्मा बनाम धन्नालाल एवं प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम तथा वाद पत्र 133/12 उनवान धन्नालाल बनाम गिरजा शर्मा चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनाक 2-7-24 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबडा जिला बारां

क्र.सं.	व्यय मद	व्ययानुतोष वादी	प्रतिवादी
1.	वदपेत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.08.08 17:26:45 IST
Reason: SelfAttested